## df"k mit e.Mh ikoVk lkfgc] ftyk fljekSj] fgekpy izns'k dh ys[kk vof/k 04@06 ls 03@11 esa ikbZ xbZ xEHkhj vfu;ferrkvksa dk lkj

| Øekad | iSjk l[;k | fooj.k | jkf'k |
|---|---|---|---|
| 1 | 5(i) | अंकेक्षणाधीन अवधि में सावधि जमा के ब्याज की राषि का रोकड़ बही में लेखांकन न करना | 1,01,17,049 |
| 2 | 5(ii) | सावधि जमा में प्राप्त कम ब्याज | 27,173 |
| 3 | 6(iii) | सेविंग ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करना | 3,94,301 |
| 4 | 11 | भू–राजस्व के पास किराए की वसूली हेतु लम्बित मामलों के बारे | 31,320 |
| 5 | 12 | तहसीलदार रिकवरी के माध्यम से किराये की वसूली योग्य राषि | 1,80,485 |
| 6 | 13 | कृषक उपज मण्डी पांवटा के मुख्य खाद्यान परिसर तथा सब मार्किट यार्ड में निर्मित अतिरिक्त दुकानों से सम्बन्धित शेष वसूली हेतु किराए की राषि | 46,610 |
| 7 | 16 | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना | 31,43,634 |
| 8 | 17 | बिना आवष्यकता के तीन माह तक अग्रिम राषि का अधिक आहरण करना | 20,000 |

# df"k mit e.Mh lfefr] ikoVk lkfgc] ftyk flje©j] fgekpy in'k ds y[kkvka dk vad{k.k ,o fujh{k.k ifronu

## vof/k 04@2006 ls 03@2011

## Hkkx&,d

1 xr vad{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के सटिप्पण उत्तरों की समीक्षा उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :–

### vad{k.k ifronu vof/k 1@74 ls 3@84

| | | |
|---|---|---|
| पैरा 7 | अंषतः निर्णीत | (उप नियम(3)–नियम 1971 के अनुसार ₹50.00 का भुगतान नहीं बनता था परन्तु कुछ राषियाँ वाऊचर संख्याः 44, दिनांक 03.03.03 द्वारा वसूली गई) |
| पैरा 10(2) | निर्णीत | (गाडी की लॉग बुक/रिपेयर बुक के लिए पत्राचार किया गया है सटिप्पण उत्तर की समीक्षा की गई) |
| पैरा 17(बी) | निर्णीत | (रसीद संख्याः 37 की पुष्टि व सटिप्पण उत्तर उपरान्त पैरा समाप्त किया गया) |
| पैरा 18(2) | निर्णीत | (2 नम्बर साईकल की चोरी बारे प्रथम सूचना दर्ज करवाई गई जिस में से एक की राषि वसूली गई व 1No. stock में unserviceable पाई गई) |

### vad{k.k ifronu vof/k 4@84 ls 3@85

| | | |
|---|---|---|
| पैरा 6(बी) | निर्णीत | (काला अम्ब के आढ़तियों को एम0 फार्म जारी करने पर मण्डी शुल्क की वसूली दिनांक 13.10.2011 को की गई) |
| पैरा 7(ए) | समाप्त | (परिषिष्ट ''बी'' में दर्षाए गए दुकान के किराए से सम्बन्धित पैरे को प्रतिवेदन से हटा कर पुनः प्रारूपित किया गया व अपेक्षित राषि प्रतिभूति राषि में समायोजित की गई) |

## vd{k.k ifronu vof/k 4@85 l 3@91

| | | |
|---|---|---|
| पैरा 6(क) | समाप्त | (दिनांक 31.03.91 तक की किराया विवरणी को इस प्रतिवेदन से हटा कर अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/06 से 03/11 में पुनः प्रारूपित किया गया) |
| पैरा 9(क) | निर्णीत | (बैंक मैनेजर के सटिप्पण उत्तर उपरान्त पैरा समाप्त) |
| पैरा 11(ग)(1) | निर्णीत | (सटिप्पण उत्तर की समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त) |
| पैरा 11(ग)(2) | निर्णीत | (₹259.50 की वसूली कर ली गई) |
| पैरा 11(ग)(3) | निर्णीत | (मद संख्याः 15(1) के सटिप्पण उत्तर की समीक्षा उपरान्त) |
| पैरा 11(ङ)(2) | निर्णीत | (सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त) |
| पैरा 11(झ) | समाप्त | (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/95 मे पैरा पुनः प्रारूपित) |
| पैरा 11(ख) | निर्णीत | (रसीद संख्याः 1075 दिनांक 15.10.11 द्वारा राषि वसूल करके जमा करवा दी गई) |

## vd{k.k ifronu vof/k 4@91 l 3@95

| | | |
|---|---|---|
| पैरा 6 | निर्णीत | (खैरी में 5 दुकानों का निर्माण हिमाचल प्रदेष विपणन बोर्ड के प्रबन्धक निदेषक, के निर्देषानुसार वर्ष 1990 में करवाया गया तथा माह 05/1995 में इन में से तीन दुकाने किराए पर दे रखी है। सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त पैरा समाप्त) |
| पैरा 7 | अनिर्णीत | |
| पैरा 9(ग) | निर्णीत | (₹112.00 को दिनांक 08.08.2008 को जमा करवा दिया गया) |
| पैरा 9(घ) | निर्णीत | (₹431.00 रसीद संख्याः 03/1564 दिनांक 15.10.2004 द्वारा जमा करवा दी गई) |
| पैरा 9(ङ) | निर्णीत | (सटिप्पण उत्तरों व अभिलेखों की पड़ताल उपरान्त) |
| पैरा 9(च) | निर्णीत | (₹240.00 रसीद संख्याः 04/1564, दिनांक 15.10.04 द्वारा वसूली गई) |
| पैरा 10(झ) | निर्णीत | (कार्योत्तर स्वीकृति पत्र सं0 एच0एम0बी(4)75–1/95–1621, दिनांक 02.04.02 द्वारा प्राप्त की गई) |
| पैरा 10(त) | निर्णीत | (सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त) |

| | | |
|---|---|---|
| पैरा 16 | निर्णीत | (दो मषीनों की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 15 / 1 व 15 / 2 पद दर्ज पाई गई व 24.02.10 को प्रत्यक्ष सत्यापन में एक मषीन उपयोगी व एक अनउपयोगी पाई गई) |

## vd{k.k ifronu vof/k 4@95 l 3@01

| | | |
|---|---|---|
| पैरा 12 | निर्णीत | (₹130.00 की वसूली दिनांक 15.10.04 को कर ली गई) |
| पैरा 14 | निर्णीत | (₹130.00 की वसूली दिनांक 15.10.04 को कर ली गई) |
| पैरा 15 | अनिर्णीत | (निर्धारित सीमा से अधिक यात्रा की कार्योत्तर स्वीकृति अपेक्षित है) |
| पैरा 21 | निर्णीत | (₹1000.00 की वसूली दिनांक 15.10.04 को कर ली गई) |
| पैरा 23 | निर्णीत | (आवष्यक स्वीकृति ज्ञापन संख्याः एच0एम0वी0(जी) 2–9 / 03–974, दिनांक 04.02.10 को प्राप्त कर ली गई) |
| पैरा 25(क) | निर्णीत | (संविदाकार से ₹585.00 की वसूली रसीद संख्याः 0080, दिनांक 15.10.2010 द्वारा की गई) |
| पैरा 25(ख) | निर्णीत | (दर विष्लेषण के अभिलेख की पुष्टि कर ली गई) |
| पैरा 26 | निर्णीत | (पुरानी मदों को स्टॉक में ले लिया गया है व अनसर्विसएबल मदों की कुछ ₹3,002.00 शर्त अनुसार बिल से काटी गई) |
| पैरा 27 | निर्णीत | (सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई) |
| पैरा 28 | अनिर्णीत | |
| पैरा 32 | अनिर्णीत | |

## vd{k.k ifronu vof/k 4@01 l 3@03

| | | |
|---|---|---|
| पैरा 6 | निर्णीत | (कार्रवाई की पुष्टि की गई) |
| पैरा 14 | निर्णीत | |
| पैरा 16 | अनिर्णीत | |
| पैरा 17 | अनिर्णीत | |
| पैरा 18 | निर्णीत | (लेखन सामग्री का क्रय / सुझाव अनुसार मुद्रण विभाग से किया जा रह है) |
| पैरा 21 | निर्णीत | (सचिव के चिकित्सा बिल अध्यक्ष से पत्र संख्या शून्य दिनांक |

| | | |
|---|---|---|
| | | 15.08.04 द्वारा / प्रतिहस्ताक्षारित करवाए गए) |
| पैरा 22 | निर्णीत | (सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त) |
| पैरा 23 | अनिर्णीत | |
| पैरा 29(1) | निर्णीत | (सटिप्पण उत्तर की समीक्षा उपरान्त) |
| पैरा 29(2) | निर्णीत | (सटिप्पण उत्तर की समीक्षा उपरान्त) |
| पैरा 32 | निर्णीत | (वास्तविक रसीद की पुष्टि की गई) |
| पैरा 33 | निर्णीत | (विज्ञापन पर व्यय की स्वीकृति पत्र संख्याः 1620, दिनांक 12.04.03 द्वारा प्राप्त कर ली गई) |

## vads{k.k izfrosnu vof/k 4@03 ls 3@06

| | | |
|---|---|---|
| पैरा 4(क) | निर्णीत | (₹50.00 का समाधान कर दिया गया) |
| पैरा 5(क) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| पैरा 5(ख) | निर्णीत | (1) (₹28513 + ₹3404 = ₹31917 को प्राप्त कर ली गई)<br>(2) (राषि ₹1500000 की एफ0डी0आर0 पर ब्याज 7.25% की दर से ही देय था पुष्टि की गई)<br>(3) (₹6492.00 + ₹492 दिनांक 10.11.06 व ₹6984.00 दिनांक 13.10.07 को जमा पाई गई)<br>(4) (₹27,389 + ₹1100 06.10.06 व 28.10.06 को रोकड़ बही में दर्ज पाई) |
| पैरा 5(ग) | अनिर्णीत | (पैरा रिपोर्ट से हटा कर अवधि 04 / 06 से 03 / 11 में पुनः प्रारूपित) |
| पैरा 5(घ) | निर्णीत | (बचत खातों पर ब्याज ₹34,622.00 की कम प्राप्ति की अभिलेखों की पुष्टि) |
| पैरा 6 | निर्णीत | (मार्किट / मण्डी शुल्क की कम वसूली की राषि की भरपाई कर ली गई) |
| पैरा 7(क) | अनिर्णीत | (₹1,09,030 की वसूली तहसीलदार रिकवरी के पास लम्बित पडी है) |
| पैरा 7(ख) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण मं पुनः प्रारूपित) |
| पैरा 7(ग) | अनिर्णीत | |

| | | |
|---|---|---|
| पैरा 8(क)(1,2) | अनिर्णीत | |
| पैरा 8(ख) | अनिर्णीत | |
| पैरा 9 | निर्णीत | (डिपोजिट वर्क के अभिलेख एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संख्याः 5011 दिनांक 31.05.06 के अन्र्तगत देख लिए गए) |
| पैरा 10 | निर्णीत | (₹3417.00 की वसूली कर दिनांक 18.03.08 को जमा की गई) |
| पैरा 11 | निर्णीत | (सम्बन्धित कर्मचारी से वूसली कर ली गई) |
| पैरा 12 | निर्णीत | (सम्बन्धित कर्मचारी से वूसली कर ली गई) |
| पैरा 13 | निर्णीत | (₹345.00 की वसूली रसीद संख्या 42 से 44, 16.06.08 द्वारा कर ली गई) |
| पैरा 14 | निर्णीत | (₹245.00 की वसूली (रसीद संख्याः 31 व 41/1768 द्वारा कर ली गई) |
| पैरा 15(क) | निर्णीत | (फार्म जे0 व एम0 का स्टॉक रजिस्टर देखने व सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त) |
| पैरा 15(ख) | निर्णीत | (सुझावानसुार कार्रवाई की जा रही है) |
| पैरा 15(ग) | निर्णीत | (रसीदों पर दिनांक अंकित बारे कार्रवाई शुरू कर दी गई) |
| पैरा 15(घ) | निर्णीत | (सुझावानुसार अपेक्षित कार्रवाई शुरू कर दी गई) |
| पैरा 16 | निर्णीत | (फार्म एम पर अंपेक्षित विवरण दर्ज करना शुरू किया गया है) |
| पैरा 17 | निर्णीत | (₹290.00 की वसूली रसीद संख्याः 34, 36/1769 द्वारा कर ली गई) |
| पैरा 18 | समाप्त | (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/06 से 03/11 में पुनः प्रारूपित किया गया है) |

## Hkkx&nks

2 orZeku ys[kk ijh{kk %&

कृषि उपज मण्डी समिति पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेष का वर्तमान लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण अवधि 04/06 से 03/11 जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री यषवीर कुमार अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 02.09.2011 से 17.10.2011 के दौरान पांवटा साहिब में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच/पड़ताल के लिए निम्न मासों का चयन किया गया।

| vof/k | p;fur ekl | |
|---|---|---|
| 2006–2007 | 07/06 | 04/06 |
| 2007–2008 | 07/07 | 03/08 |
| 2008–2009 | 09/08 | 03/09 |
| 2009–2010 | 09/09 | 01/10 |
| 2010–2011 | 08/10 | 09/10 |

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन कृषि उपज मण्डी समिति पांवटा साहिब के सचिव द्वारा प्रदान/उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किए गया हैं। नियन्त्रणाधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु उपरोक्त चयनित मासों तक ही सीमित है।

vads{k.k vof/k ds nkSjku dk;Zjr lfpo ,oa mudk dk;Zdky dk fooj.k fuEu ls gS %&

| Øekad | lfpo dk uke | vof/k |
|---|---|---|
| 1 | श्री बी0एल0 शर्मा | 01.04.06 से 14.06.06 |
| 2 | श्री सुषील कुमार | 17.06.06 से 12.12.09 |
| 3 | श्री आई0डी0 गुप्ता (कार्यवाहक सचिव) | 24.12.09 से 04.03.2010 |
| 4 | श्री राघव सूद | 05.03.2010 से 31.03.2011 |

3 vads{k.k 'kqYd %&

कृषि उपज मण्डी समिति पांवटा साहिब के अवधि 04/06 से 03/11 के लेखों के लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः फिन(एल0ए0)–1–459/92, दिनांक 26.07.2001 के अनुसार ₹3,16,833.00 आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राषि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के नाम पर तैयार कर भिजवाने के लिए अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अधियाचना संख्याः 11, दिनांक 13.10.2011 द्वारा सचिव महोदय को अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क का ड्राफ्ट अंकेक्षण अवधि तक तैयार नहीं किया गया था। अतः परामर्ष दिया जाता है कि अंकेक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट शीघ्र तैयार करके इस विभाग को भेजना सुनिष्चित करें।

vd{k.k 'kqYd dh x.kuk dk fooj.k fuEu lkj gS %&

| vof/k | o"kZ dk 0;; | vd{k.k 'kqYd |
|---|---|---|
| 2006–2007 | 80,63,384.00 | 40,317.00 |
| 2007–2008 | 72,06,868.00 | 36,034.00 |
| 2008–2009 | 2,73,57,655.00 | 1,36,788.00 |
| 2009–2010 | 1,06,76,413.00 | 53,382.00 |
| 2010–2011 | 1,00,62,472.00 | 50,312.00 |
| | dqy ;ksx | ₹3]16]833-00 |

4 foÙkh; fLFkfr %&

(i) लेखा अवधि 04/06 से 03/11 के दौरान कृषि उपज मण्डी समिति पांवटा साहिब जिला सिरमौर की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :–

| | | 2006&2007 | 2007&2008 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष | 3,21,06,817.61 | 3,56,43,546.61 |
| 2 | प्राप्तियाँ | 93,63,795.00 | 58,31,282.00 |
| 3 | सेविंग ब्याज | 1,54,781.00 | 2,08,313.00 |
| 4 | सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज | 20,81,537.00 | 10,00,874.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ;kx | 4]37]06]930-61 | 4]26]84]015-61 |
| | dqy O;; | 80]63]384-00 | 72]06]868-00 |
| | vUr'k"k | 3]56]43]446-61 | 3]54]77]147-61 **say** **₹3,54,77,148/-** |

| | | 2008&2009 | 2009&2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष | 3,54,77,148.00 | 2,18,29,624.00 |
| 2 | प्राप्तियाँ | 66,62,628.00 | 85,69,602.00 |
| 3 | सेविंग ब्याज | 78,467.00 | 75,019.00 |
| 4 | सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज | 43,80,036.00 | 18,58,770.00 |
| 5 | अनुदान राषि | 25,89,000.00 | 25,89,000.00 |
| | ;kx | 4]91]87]279-00 | 3]49]22]015-00 |
| | dqy O;; | 2]73]57]655-00 | 1]06]76]413-00 |
| | vUr'k"k | 2]18]29]624-00 | 2]42]45]602-00 |

| | | 2010&2011 |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष | 2,42,45,602.00 |
| 2 | प्राप्तियाँ | 98,72,844.00 |
| 3 | सेविंग ब्याज | 95,181.00 |
| 4 | सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज | 16,95,832.00 |
| 5 | अनुदान राषि | शून्य |
| | ;kx | 3]59]09]459-00 |
| | dqy O;; | 1]00]62]472-00 |
| | vUr'k"k | 2]58]46]987-00 |

fnukad 31-03-2011 dks vUr'ks"k rFkk cSad lek/kku foojf.kdk dk fooj.k fuEu izdkj ls jgk %&

| ØEk l[;k | cid lek/kku foojf.kdk o"k 2010&11 | cid [kkrk l[;k | jkf'k |
|---|---|---|---|
| 1 | सावधि में निवेषित राषि | | 2,43,64,567.00 |
| 2 | हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक पांवटा साहिब | 03336 | 8,06,876.00 |
| 3 | हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक नाहन | 3460 | 4,85,198.00 |
| 4 | हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक ददाहू | 558 | 77,364.00 |
| 5 | जोगिन्द्रा बैंक नौणी (सोलन) | 1016 | 1,12,982.00 |
| | | dy ;kx | ₹2]58]46]987-00 |

| Ø0 l0 | cid dk uke | [kkrk l0 | fuof'kr fnukd | ifjiDork fnukd | fuof'kr jkf'k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दि0 जोगिन्द्रा बैंक नौणी सोलन | 133876 | 04.06.10 | 04.06.11 | 2,36,638 |
| 2 | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला पांवटा साहिब | 519339 | 26.10.10 | 03.05.12 | 15,00,000 |
| | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला पांवटा साहिब | 863571 | 07.03.11 | 12.09.12 | 6,00,000 |
| | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला पांवटा साहिब | 863747 | 30.03.11 | 30.03.12 | 21,64,912 |
| 3 | स्टेट बैंक आफ पटियाला तारूवाला | 143160 | 15.03.11 | 20.09.12 | 15,00,000 |
| 4 | हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक पांवटा | 088143 | 22.10.08 | 15.07.11 | 14,41,346 |
| | हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक पांवटा | 580313 | 05.10.10 | 05.10.11 | 20,00,000 |
| | हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक पांवटा | 280553 | 06.06.10 | 05.06.11 | 23,66,377 |
| | हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक ददाहू | 403537 | 04.06.10 | 04.06.11 | 1,76,610 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक नाहन | 398302 | 01.05.10 | 01.05.11 | 17,42,794 |
| 5 | पंजाब एण्ड सिंन्ध बैंक पांवटा | 561770 | 28.12.10 | 28.12.11 | 11,12,693 |
| 6 | ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स | 11393762 | 07.12.09 | 07.12.11 | 18,96,429 |
| | ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स | 11393217 | 26.09.09 | 26.09.11 | 33,06,322 |
| | ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स | 11393762 | 11.12.09 | 11.12.11 | 19,63,922 |
| | ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स | 427874 | 20.01.11 | 03.06.12 | 23,56,524 |
| | | | | ;kx | ₹2]43]64]567 |

¼ii½ vuqnku %&&

कृषक उपज मण्डी समिति पांवटा साहिब को वर्ष 2008–2009 व 2009–2010 मे ₹25,89,000 + ₹25,88,000 = ₹51,78,000/– प्राप्त हुआ है।

5 lkof/k tek ;kstuk e fuof'kr jkf'k d ckj e %&

वित्तीय स्थिति के अनुसार कृषि उपज मण्डी पौंटा साहिब मे दिनांक 31.03.11 को ₹2,43,64,567.00 शेष पाई गई। अंकेक्षणाधीन अवधि में सावधि खातों की जाँच पर निम्नलिखित टिप्पणीयाँ अपेक्षित है :–

(i) कृषि उपज मण्डी समिति पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेष की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि सावधि लेखों में अर्जित ब्याज की राषि का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया था परन्तु संस्था द्वारा प्रस्तुत आय तथा व्यय की विवरणी के आधार पर निम्नविवरणानुसार सावधि जमा योजना में प्राप्त ब्याज की राषि को वित्तीय स्थिति में शामिल किया गया है ।

| Øekd | o"k | lkof/k tek ;kstuk e ikIr C;kt dh jkf'k |
|---|---|---|
| 1 | 2006–2007 | 20,81,537/– |
| 2 | 2007–2008 | 10,00,874/– |
| 3 | 2008–2009 | 43,80,036/– |
| 4 | 2009–2010 | 18,58,770/– |
| 5 | 2010–2011 | 16,95,832/– |
| | | dqy ;kx ₹1]10]77]049@& |

(ii) कृषि समिति द्वारा समय समय पर किए निवेषों मे अर्जित/प्राप्त ब्याज की पड़ताल करने पर निम्न वर्णित सावधि निवेषों में बैंक द्वारा कम ब्याज दिया गया है जिस के कारण ब्याज के रूप में ₹27,173/– कम प्राप्त किए गए। अतः परामर्ष दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आवष्यक जाँच करके कम प्राप्त ब्याज के मामलों को

सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए व कम प्राप्त की गई राषि को प्राप्त करके की गई कार्रवाई की आगामी अंकेक्षण पर पुष्टि करवाई जानी सुनिष्चित की जाए।

| Ø0 l0 | lkof/k [kkrk l0 | fuos'k fnukad | fuos'k jkf'k | nj | o"kZ | ifjiDork ij feyus okyh jkf'k | ftruh jkf'k yh xbZ | de izkIr C;kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0202936 | 12.05.06 | 1196107 | 6.75% | 2 वर्ष | 1367447 | 1354057 | 13390 |
| 2 | 113930 31002717 | 28.12.09 | 1053542 | 6.75% | 1 वर्ष | 1126476 | 1112693 | 13783 |
| | | | | | | | ;ksx | ₹27173 |

(iii) सावधि रजिस्टर पृष्ठ 39 के क्रमांक 4 पर औरिएन्टल बैंक ऑफ कॅमर्स शाखा पांवआ में दिनांक 28.12.09 को ₹10,53,542/–को खाता संख्याः 113930–3100–2717 के अर्न्तगत 6.75% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेषित किया गया परन्तु उक्त सावधि को एक वर्ष उपरान्त ही 28.12.10 को तुडवा कर ₹59,151/– ब्याज प्राप्त किया गया तत्पष्चात पंजाब एवं सिन्ध बैंक में ₹10,53,542 + ब्याज ₹59,151 = कुल ₹11,12,693/– को पुनः निवेषित किया गया जिस पर 8.25% की दर से ब्याज पाया गया परन्तु उक्त ब्याज की राषि को वित्तीय वर्ष 2009–10 में गणना में नहीं लिया गया।

(iv) सावधि रजिस्टर पृष्ठ 39 के क्रमांक 5 पर दिनांक 01.01.10 को ₹22,10,791/– की एफ0डी0आर0 एक वर्ष के लिए तैयार की गई जिसकी परिपक्वता पर ₹1,41,447/–व अवधि 01.01.11 से 19.01.11 के लिए ब्याज की ₹4,286/–प्राप्त हुई इस प्रकार (परिपक्वता ₹22,10,791 + ₹1,41,447 + ₹4,286 = ₹23,56,524) का पुर्ननिवेष दिनांक 20.01.11 को 500 दिनों के लिए किया गया परन्तु ब्याज राषि ₹4,286/– का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं पाया गया।

(v) अंकेक्षण अवधि के दौरान अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि समिति द्वारा सावधि रजिस्टर का निर्माण उचित प्रपत्र पर तैयार न करके एक ही पृष्ठ पर सावधियों का निवेष, परिपक्वता इत्यादि र्दषाई गई जिसके परिणामस्वरूप सावधि जमा योजना में निवेषित राषियां, परिपक्वता तिथि तथा ब्याज इत्यादि की जाँच करने पर कठिनाई उत्पन्न हुई। अतः सावधि जमा योजना रजिस्टर का निर्माण नियमानुसार किया जाए।

(vi) सावधि रजिस्टर पृष्ठ 24 क0सं0 57 पर टी0डी0आर0 संख्याः 212159, दिनांक 16.07.08 को ₹22,99,976.00 की हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक शाखा बद्रीपुर से तैयार करवाई गई जिसकी परिपक्वता दिनांक 16.07.2011 को तय थी परन्तु उक्त निवेषित राषि को दिनांक 24.03.09 को भुना कर ₹1,28,059.00 का ब्याज अर्जन

प्राप्त हुआ तत्पष्चात आय कर विभाग द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्याः 534126 के माध्यम से उक्त राषि को शाखा प्रबन्धक से प्राप्त किया गया, जिस बारे में वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(vii) सावधि रजिस्टर पृष्ठ संख्याः 25 के क्रमांक 60 पर हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक शाखा बद्रीपुर से टी0डी0आर–278172, दिनांक 01.02.09 को ₹68,38,240/– की तैयार की गई जिसकी परिपक्वता दिनांक 01.02.11 को तय थी परन्तु दिनांक 24.03.09 को उक्त सावधि को भुना कर प्राप्त ब्याज की ₹52,557/– (जिसकी कुल ₹68,90,791/– बनती थी) आय कर विभाग द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्याः 58,28,144/– द्वारा सीधे तौर पर अन्तरित कर ली गई, जिस बारे में वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 cpr [kkrk ij vftZr C;kt dk jkdM+ cgh esa y[kkdu u djuk ckjs %&

(i) अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखा अवधि 04/06 से 03/11 की पड़ताल पर पाया गया कि सेविंग खाता संख्याः 3336, 558, 1016 व 3460 पर समय समय पर मिलने वाले ब्याज को रोकड़ बही में पूर्ण रूप से नहीं लिया गया है परन्तु संस्था द्वारा प्रस्तुत आय तथा व्यय विवरणी में वर्णित आंकड़ों के आधार पर निम्न विवरणानुसार ब्याज अर्जित किया गया दर्षाया गया है तथा तदानुसार ही ब्याज की राषि को वित्तीय स्थिति में दर्षाया गया है।

| Øekad | o"kZ | C;kt dh jkf'k |
|---|---|---|
| 1 | 2006–2007 | 1,54,781 |
| 2 | 2007–2008 | 2,08,313 |
| 3 | 2008–2009 | 78,467 |
| 4 | 2009–2010 | 75,019 |
| 5 | 2010–2011 | 95,181 |

(ii) बचत खाते पर प्राप्त ब्याज का खाता वार विवरण निम्न प्रकार से है

| vof/k | ekg | [kkrk l0 ¼3336½ | [kkrk l0 ¼558½ | [kkrk l0 ¼1016½ | [kkrk l0 ¼3460½ | dqy ;ksx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006–07 | 01.07.06 | 16,632 | शून्य | शून्य | 28,254 | |
| | 30.06.06 | – | 7781 | 7551 | – | |
| | 31.12.06 | – | 8677 | 8333 | – | |
| | 02.01.07 | 21884 | शून्य | शून्य | – | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.01.07 | — | — | — | 55669 | |
| dqy ;ksx | | 38516 | 16458 | 15884 | 83923 | 154781 |
| vof/k | ekg | [kkrk la0 ¼3326½ | [kkrk la0 ¼558½ | [kkrk la0 ¼1016½ | [kkrk la0 ¼3460½ | dqy ;ksx |
| 2007—2008 | 30.06.07 | शून्य | 8291 | 7443 | शून्य | |
| | 03.07.07 | 16806 | शून्य | शून्य | 2043 | |
| | 20.09.07 | 20425 | 838 | शून्य | शून्य | |
| | 29.09.07 | | | | | |
| | 06.10.07 | शून्य | शून्य | शून्य | 5135 | |
| | 31.03.08 | 50507 | 2294 | 2992 | 45343 | |
| | | | | | (+)46196 | |
| dqy ;ksx | | 87738 | 11423 | 10435 | 98717 | 208313 |
| vof/k | ekg | [kkrk la0 ¼3336½ | [kkrk la0 ¼558½ | [kkrk la0 ¼1016½ | [kkrk la0 ¼3460½ | dqy ;ksx |
| 2008—09 | 30.06.08 | शून्य | शून्य | 2940 | शून्य | |
| | 29.09.08 | शून्य | शून्य | शून्य | 25866 | |
| | 30.09.08 | 9786 | 1706 | शून्य | शून्य | |
| | 31.03.09 | 23606 | 851 | 1285 | 12427 | |
| dqy ;ksx | | 33392 | 2557 | 4225 | 38293 | 78467 |
| vof/k | ekg | [kkrk la0 ¼3336½ | [kkrk la0 ¼558½ | [kkrk la0 ¼1016½ | [kkrk la0 ¼3460½ | dqy ;ksx |
| 2009—10 | 30.06.09 | शून्य | शून्य | 1644 | शून्य | |
| | 30.09.09 | 25397 | 1372 | शून्य | 24947 | |
| | 31.03.10 | 3144 | 2706 | 3478 | 12331 | |
| dqy ;ksx | | 28541 | 4078 | 5122 | 37278 | 75019 |
| vof/k | ekg | [kkrk la0 | [kkrk la0 | [kkrk la0 | [kkrk la0 | dqy ;ksx |

| | | ¼3336½ | ¼558½ | ¼1016½ | ¼3460½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010—11 | 30.06.10 | शून्य | शून्य | 1910 | 13280 | |
| | 30.09.10 | 18859 | 5852 | शून्य | शून्य | |
| | 29.11.10 | 5439 | शून्य | शून्य | 17228 | |
| | 31.12.10 | शून्य | शून्य | 1959 | शून्य | |
| | 31.01.11 | 16103 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | 31.03.11 | शून्य | 7251 | शून्य | 7300 | |
| d\|y ;kx | | 40401 | 13103 | 3869 | 37808 | 95181 |

(iii) उपरोक्त विवरणानुसार बैंक द्वारा सेविंग खाते पर दिए गए ब्याज का रोकड़ बही से मिलान करने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :—

(क) वर्ष 2006—2007 में ₹1,54,781/— सेविंग ब्याज के रूप में अर्जित किया गया परन्तु रोकड़ बही में ब्याज का लेखांकन ₹66,770/—ही किया गया। इस प्रकार शेष ₹88011/—का लेखांकन नहीं किया गया।

(ख) वर्ष 2007—2008 में ₹2,08,313/—सेविंग खातों से ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ परन्तु रोकड़ बही में ₹16,806/—ली गई इस प्रकार रोकड़ बही में ब्याज ₹1,91,507/—का लेखांकन नहीं किया गया।

(ग) वर्ष 2008—2009 में ₹78,467/—सेविंग खातों पर ब्याज प्राप्त हुआ परन्तु रोकड़ बही में ₹35,662/— का लेखांकन किया गया। इस प्रकार ₹42,805/— का लेखांकन नहीं किया गया।

(घ) वर्ष 2009—2010 में ₹75,019/—सेविंग खातों पर ब्याज प्राप्त हुआ परन्तु रोकड़ बही में ब्याज की ₹25,397 + ₹27,947/— = ₹53,344/— लिया गया व शेष ₹21,675/—का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया।

(ङ) वर्ष 2010—2011 में ₹95,181/—सेविंग खातों पर ब्याज के रूप में प्राप्त हुई परन्तु रोकड़ बही में ब्याज की ₹44,878/— को ही लिया गया तथा शेष ₹50,303/— का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त त्रुटियों का समाधान/मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 vk; rFkk O;; dk fooj.k %&

कृषक उपज मण्डी समिति पांवटा साहिब द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि 04/2006 से 03/2011 में प्राप्त आय तथा किए व्यय का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से रहा :—

| vof/k | izkIr vk; | O;; |
|---|---|---|
| 2006—2007 | 93,63,795 | 80,63,384 |

| | | |
|---|---|---|
| 2007–2008 | 58,31,282 | 72,06,868 |
| 2008–2009 | 66,62,628 | 2,73,57,655 |
| 2009–2010 | 85,69,602 | 1,06,76,413 |
| 2010–2011 | 98,72,844 | 1,00,62,472 |

उक्त अवधि की आय एवं व्यय के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2007–2008 की आय में गत वर्ष की अपेक्षा 38% की कमी पाई गई जिसका मुख्य कारण लाईसैंस होल्डरों की कमी थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 30.05.06 को मण्डी शुल्क का 2% से घटा कर 1% कर दिए जाने के कारण भी आय में कमी पाई गई। वर्ष 2007–2008 में मण्डी शुल्क की आय में कमी पाई गई जिसका उल्लेख प्रबन्ध निदेषक के ज्ञापन संख्याः एच0एम0बी0(1)–10/2005, दिनांक 29.08.07 में किया गया तत्पष्चात ज्ञापन संख्यः एच0एम0बी0–16–03/2004–खण्ड–2713, दिनांक 08.04.10 के द्वारा मण्डी शुल्क की प्राप्ति के लिए वर्ष 2009–10 के लिए ₹75,00,000/– व वर्ष 2010–2011 के लिए 1,30,00,000/–का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसे समिति द्वारा वर्ष 2009–2010 में प्राप्त कर लिया गया परन्तु वर्ष 2010–2011 में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि आय में बढ़ौतरी हेतु लाईसैंस धारकों के वार्षिक लेखों का Assessment करवाना पूर्णतया सुनिष्चित किया जाए ताकि विपणन उपज मण्डी पांवटा साहिब की वित्तीय स्थिति को और सुढ़ढ किया जा सके।

## 8 jkdM cgh rFkk y[kk dk j[k&j[kko fu;ekuqlkj u djuk ckjs%&

कृषक उपज मण्डी समिति पांवटा साहिब की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार नहीं किया गया है जबकि रोकड़ बही में मण्डी समिति की सब यार्ड सहित सम्पूर्ण आय एव व्यय का लेखा रखा जाना अपेक्षित था। उक्त अनियमितता के कारण मण्डी समित पांवटा साहिब की रोकड़ बही में समस्त लेनदेन व बकाया शेष राषि की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। इस प्रकरण को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/03 से 03/06 में भी उठाया गया था, परन्तु फिर भी अंकेक्षण के सुझाव को भी अनदेखा कर वर्ष 04/06 से 03/11 तक की रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार नहीं किया गया है जो कि एक गम्भीर अनियमितता को दर्षाता है।

इसके अतिरिक्त कृषक उपज मण्डी समिति पावंटा साहिब के अंकेक्षणाधीन अवधि के वार्षिक लेखों की पड़ताल पर पाया गया कि लेखों का निर्माण जैसे कि सावधि/बचत खातों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन, सावधि रजिस्टर का निर्माण, परिपक्वता राषि, सब यार्ड नाहन ददाहू, वागयन, सराहन व नौणी की मासिक मण्डी शुल्क Compound शुल्क, दुकानों के किराये से सम्बन्धित रिकॉर्ड इत्यादि का लेखांकन ठीक ढंग से नहीं किया है तथा

न ही इन अभिलेखों का मुख्य रोकड़ बही से मिलान किया गया जबकि नियमानुसार प्रत्येक माह के अन्त में सब यार्ड से प्राप्त आय की गणना करके इसका रोकड़ बही में लेखांकन करने के अतिरिक्त अन्य अभिलेखों का भी रख–रखाव उचित प्रकार से करना आवष्यक था। अतः परामर्ष दिया जाता है कि लेखों का रख–रखाव निर्धारित प्रपत्रों एवं नियमानुसार रखना अनिवार्य किया जाए।

9 ykbl l l dk uohuhdj.k %&

हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औघोनिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम (विकास एवं विनियमन विधेयक तथा नियमों के अर्न्तगत वर्ष 2010–11 में रजिस्टर्ड लाईसैंस धारकों के लाईसैंसों का नवीनीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त 37 अन्य व्यापारियों को नए लाईसैंस जारी किए गए हैं जिनका विवरण परिषिष्ट ''क'' पर दिया गया है। परामर्ष दिया जाता है कि वर्ष 2010–2011 के रजिस्टर्ड लाईसैंस धारकों की सूची सब मार्कीट यार्ड नाहन, ददाहू, सतौन, नौणी इत्यादि में कार्यरत चैक/पोस्ट पर नियुक्त अधिकारी को भी उपलब्ध करवाई जाए ताकि मण्डी शुल्क की प्राप्ति का मिलान नियमानुसार किया जा सके।

10 okÅpj l[;k% 91] ekg 11@06] ₹27]722@&

lYl VD l@lfol l pkftZt ₹630@& dk vuqfpr Hkqxrku %&

उपरोक्त वाऊचर संख्याः के क्रमांक 7, 8, के अर्न्तगत ₹3,930/– + ₹4,630/– कुल योग ₹8,560/– का भुगतान मैसर्ज मार्डन टैन्ट हाऊस पांवटा को उनके बिल संख्याः 1294, 1295, दिनांक 05.10.06 व 06.10.06 के अर्न्तगत टिम्बर स्टोर डिपो तारूवाला में लकडी की नीलामी के दौरान टैन्ट की सामग्री उपलब्ध करवाने के एवज़ में किया गया था। विपत्र के अवलोकन पर पाया गया कि मार्डन टैन्ट हाऊस द्वारा नीलामी के दौरान जो सामान उपलब्ध करवाया गया था उसमें अन्य सामान के अतिरिक्त लेबर चार्जीज़ तथा पानी की आपूर्ति के लिए किराए पर टैंकर इत्यादि पर किया गया व्यय भी सम्मिलित है जिस पर 25% की दर से सैल्स टैक्स/सर्विस चार्ज लगाकर भुगतान प्राप्त किया गया जबकि यह राषि देय नहीं बनती थी अर्थात अनियमित रूप से भुगतान ₹630/– की वसूली अपेक्षित है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि बिलों की संस्था स्तर पर जाँच करके अधिक किए गए भुगतान की वसूली करनी सुनिष्चित की जाए।

11 d"kd mit e.Mh ikoVk lkfgc d lc ekfdV ;kMl [kjh dh ndkuk dk Hk&jktLo foHkkx d ikl fdjk, dh ₹31]320@& dh olyh gr yfEcr ekey d ckj e %&

किराया वसूली रजिस्टर सब मार्कीट यार्ड खैरी के अवलोकन पर पाया गया कि खैरी में वर्ष 1995 में ₹1,49,700 / – की लागत से दुकानों का निर्माण करवाया गया व तीनों दुकानों का प्रतिमाह किराया प्रति दुकान ₹70 / – निर्धारित किया गया व दुकानों के निर्माण उपरान्त तीनों दुकानों का Possession पत्र संख्याः ए0पी0एम0सी0–ई0एस0–19–पी0टी0ए0 / 85–900, दिनांक 05 / 90 को लिया गया तथा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि यह दुकानें लगभग 5 वर्ष तक खाली पड़ी रही क्योंकि मण्डी परिसर में निर्मित इन दुकानों को किराए पर लेने के लिए किसी स्थानीय निवासी / व्यापारी द्वारा कोई रूचि नहीं दिखाई गई व दिनांक 05.05.1995 को तीनों निर्मित दुकानों को दि डिम्बर ग्राम सहकारी सभा समिति तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर को ₹70 / – प्रति माह प्रति दुकान की दर से किराए पर दिया गया। इस प्रकार कुल वसूली योग्य किराया का विवरण निम्न से रहा :–

| vof/k | fdjk;k izfr ndku | dqy ekg | jkf'k |
|---|---|---|---|
| 01.05.95 से 31.03.96 | 70 x 3 = 210 | 11 | 2310 |
| 01.04.96 से 31.03.97 | 210 | 12 | 2520 |
| 01.04.97 से 31.03.98 | 210 | 12 | 2520 |
| 01.04.98 से 31.03.99 | 210 | 12 | 2520 |
| 01.04.2000 से 31.03.2007 | 210 | 84 | 17640 |
| 01.04.2007 से 31.03.2008 | 210 | 12 | 2520 |
| 01.04.2008 से 31.12.2008 | 210 | 9 | 1890 |
| | | dqy ;ksx | ₹34]440@& |

उक्त किराये की राषि में से केवल दिनांक 08.05.96 को ₹500, दिनांक 07.07.97 को ₹2200, तथा दिनांक 10.07.2000 को ₹1200 / – ही प्राप्त किए जिसका योग ₹3900 / – बनता था। इस प्रकार ₹34,440 – ₹3900 = ₹30,540 ग्राम सहकारी समीति द्वारा देय थे। कृषक उपज मण्डी पावंटा साहिब द्वारा दी डिमवर ग्राम सहकारी सभा समिति से किराये की अदायगी बारे पत्राचार किया जाता रहा तथा ग्राम पंचायत डिम्बर द्वारा दुकान नम्बर–1 को दिनांक 31.12.08 को खाली कर दिया गया व उपरोक्त के अतिरिक्त शेष दो दुकानों का 01.01.09 से 31.03.11 का कुल किराया (140 x 27 माह) ₹3,780 / – बनता था जिसमें से ग्राम सहकारी सभा द्वारा ₹3000 / – का मण्डी समिति के खाते में जमा करवा दिया गया तथा शेष राषि ₹780 / – की वसूली करनी अभी भी शेष पड़ी है। इस प्रकार कुल ₹30,540 + ₹780 = ₹31,320 की वसूली करनी अपेक्षित थी। तत्पष्चात कृषक उपज मण्डी पांवटा साहिब द्वारा यह मामला हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औधानिक उपज विपणन विकास एवं विनियम विधेयक 2005 की

धारा 66 के अर्न्तगत पत्र संख्याः ए0पी0एस0 पी0–जी0–'–पी0टी0ए0–1–1245, दिनांक 25.11.07 व पत्र संख्याः ई0एस0–18–पी0टी0ए0 –85–283, दिनांक 27.06.09 द्वारा तहसीलदार रिकवरी नाहन के पास उठाया गया तथा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को बताया गया कि यह मामला तहसील रिकवरी नाहन के पास लम्बित पड़ा हैं। अतः मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाए जाऐं ताकि किराया की लम्बित राषि की वसूली सम्भव हो सके।

12 rglhynkj fjdojh ds ek/;e ls fdjk;s dh olwyh ;kX; ₹1]80]485@& ds ckjs esa ¼&

सब मार्कीट यार्ड सराहन के रैण्ट रोल रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि कुछ दुकानदारों से बकाया राषियों के मामलों को हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औद्यौनकीय उपज विपणन विकास एवं विनियमन विधेयक 2005 की धारा 66 के अर्न्तगत रिकवरी तहसीलदार से उठाकर वसूली निर्धारित/नियमित करवाई गई है परन्तु अभी भी लम्बित राषियों की वसूली अपेक्षित है जिसका विवरण निम्न से है

| Ø0 l0 | nqdku u0 | nqdkunku dk uke | vkcafVr fnukad | fdjk;k ifrekg | cdk;k jkf'k tks olwyu dk Fkh | n.M C;kt | ;kx | ftruh jkf'k ikIr gqbZ | 'ks"k jkf'k olwyus ;kX; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | दिनेष कुमार | 07/01 | 840 | 11550 | 1155 | 12705 | 4700 | 8405 |
| 2 | 2 | रामकृष्ण | 07/01 | 920 | 75040 | शून्य | 75040 | 26940 | 48100 |
| 3 | 4 | नित्यानन्द | 07/01 | 800 | 49400 | शून्य | 49400 | 17200 | 32200 |
| 4 | 5 | हरिनारायण | 07/01 | 825 | 40545 | शून्य | 40545 | 20545 | 20000 |
| 5 | 6 | चकघर मण्डी | 07/01 | 825 | 72640 | शून्य | 72640 | 734000 | 38640 |
| 6 | 7 | अषोक कुमार | 07/01 | 825 | 54890 | शून्य | 54890 | 21350 | 33540 |
| | | | | | | | | dqy ;kx | ₹1]80]485 |

अतः उपरोक्त राषियों की वसूली शीघ्र करनी सुनिष्चित की जाए।

13 d"kd mit e.Mh ikoVk ds e[; [kk|kUu ifjlj rFkk lc ;kMksa esa fufeZr nqdkuksa ls lEcfU/kr 'ks"k olwyh ;kX; fdjk;s dh ₹46]610@& ¼&

अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि मुख्य मण्डी परिसर पांवटा की 12 दुकाने, खाद्यान परिसर की 11 दुकानें, उप मण्डी सतौन की 6 दुकानें व सब मार्कीट यार्ड की 11 दुकानो, वागयन की 3 दुकानों, ददाहू की 4 व

अतिरिक्त निर्मित 2 दुकानों का रैण्ट रोल रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 का कुछ दुकानदारों से किराया वसूली योग्य शेष रहता है जिसका विवरण परिषिष्ट ''ख'' पर दिया गया है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि दुकानदारों से किराया प्रतिमाह प्राप्त करने बारे प्रयास किए जाऐं ताकि दुकानदारों से वसूलने योग्य राषि शेष न रहे। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 ,e@vk&Qke dk ytj e vfdr u dju ckj %&

अंकेक्षण अवधि के दौरान जाँच/पड़ताल पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित ट्रेडर्ज के एम0ओ0 फार्मा को लेजर में दर्ज नहीं किया गया है।

| Øe l[;k | Qe dk uke | ytj l0@ ndku l0 | ,e0vk0 Qke dh l[;k ntl u dju dh vof/k |
|---|---|---|---|
| 1 | मैसर्ज कुमार फ्रूट कम्पनी पांवटा साहिब | 3 | 06.04.06 से 06.02.07 |
| 2 | जिंदा हसन | 4 | 02.05.06 से 23.08.06 |
| 3 | मोहन फ्रूट कम्पनी | 5 | 16.06.07 से 13.09.07 |
| 4 | जनता फ्रूट कम्पनी | 6 | 24.05.07 से 17.11.07 |
| 5 | संजय कुमार अजय कुमार | 7 | 16.05.07 से 06.09.07 |
| 6 | जाय हसन एण्ड सन्ज | 8 | 16.05.07 से 06.09.07 |
| 7 | हिमगिरी हैचरी | 18 | 29.04.06 से 29.10.07 |
| 8 | रोषन लाल एण्ड सन्ज | 19 | 27.02.06 से 14.10.06 |
| 9 | नारंग फ्रूडज | 20 | 30.05.06 से 28.11.06 |
| 10 | पांवटा को0 सोसायटी | 23 | 13.04.06 से 24.02.07 |
| 11 | हिमाचल प्रदेष मिल्क फेडरेषन | 26 | 09.06.06 से 17.08.07 |
| 12 | गुरू नानक वैजिटेबल कम्पनी | 61 | 29.06.06 से 22.3.07 |

अतः परामर्ष दिया जाता है कि उक्त फर्मों/ट्रेडर्ज के अपेक्षित अभिलेख लैजर में दर्ज किए जाने सुनिष्चित किए जाएँ।

15 Qeka }kjk e.Mh 'kYd dk fu/kkj.k ugh djokuk %&

हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औद्यौनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियम) विधेयक तथा नियमों की विभिन्न धाराओं के अर्न्तगत प्रत्येक अनुज्ञाधिकारी/रजिस्टीकृत कारोबारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा निर्धारित फार्म ''बी'' पर भरकर सम्बन्धित उपज मण्डी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है ताकि मण्डी शुल्क का निर्धारण किया जा सके परन्तु निम्न फर्मों द्वारा वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान किए गए व्यापार हेतु उनके मण्डी शुल्क का निर्धारण अभी तक नहीं करवाया गया जो कि नियमों के विपरीत पाया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकरण में यथाषीघ्र कार्रवाई करना सुनिष्चित करें।

| Øe la[;k | QeZ dk uke | jftLVjs'ku la[;k |
|---|---|---|
| 1 | मैसर्ज कुमार फ्रूट कम्पनी | ए0पी0एम0सी0–10/08 |
| 2 | जिंदा हसन | ए0पी0एम0सी0–11/08 |
| 3 | मुहम्मद फ्रूट कम्पनी | ए0पी0एम0सी0–12/08 |
| 4 | जनता फ्रूट कम्पनी | ए0पी0एम0सी0–13/08 |
| 5 | दुर्गा फ्रूट कम्पनी | ए0पी0एम0सी0–14/08 |
| 6 | जाकिर हुसैन | ए0पी0एम0सी0–15/08 |
| 7 | अमीर हसन | ए0पी0एम0सी0–16/08 |
| 8 | गुरूनानक वैजिटेबल | ए0पी0एम0सी0–19/08 |
| 9 | दषमेष फ्रूट कम्पनी | ए0पी0एम0सी0–18/08 |
| 10 | अली हसन | ए0पी0एम0सी0–17/08 |
| 11 | सरस्वती आलू कम्पनी | ए0पी0एम0सी0–20/08 |
| 12 | सागर फ्रूट कम्पनी | ए0पी0एम0सी0–21/08 |
| 13 | सुभाष चन्द | ए0पी0एम0सी0–22/08 |
| 14 | सिरमौर आयल एण्ड जनरल स्टोर | ए0पी0एम0सी0–23/08 |
| 15 | सोम प्रकाष लीला देवी | ए0पी0एम0सी0–24/08 |
| 16 | वीर सिंह सुरजीत सिंह | ए0पी0एम0सी0–25/08 |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | मैसर्ज सिंधल ब्रदर्ज | ए0पी0एम0सी0—26 / 08 |
| 18 | मैसर्ज विषाल ट्रेडर्ज | ए0पी0एम0सी0—27 / 08 |
| 19 | मैसर्ज कमल राइस मिल | ए0पी0एम0सी0—46 / 08 |
| 20 | अग्रवाल फ्लोर मिल | ए0पी0एम0सी0—38 / 08 |
| 21 | मैसर्ज सागर कत्था फैक्टरी | ए0पी0एम0सी0—08 / 08 |
| 22 | भण्डारी कत्था उद्योग | ए0पी0एम0सी0—07 / 08 |
| 23 | एच0पी0 मिल्क फैडरेषन | ए0पी0एम0सी0—04 / 08 |
| 24 | भारतीय खाद्य निगम | ए0पी0एम0सी0—06 / 08 |
| 25 | हिमाचल प्रदेष खाद्य एवं आपूर्ति विभाग | ए0पी0एम0सी0—05 / 08 |
| 26 | मैसर्ज मदन लाल नाहन | ए0पी0एम0सी0—64 / 08 |
| 27 | मनी पौल्टरी शम्भूवाला | ए0पी0एम0सी0—99 / 10 |
| 28 | दि सिरमौर मिल्क प्रोडक्टस | ए0पी0एम0सी0—110 / 10 |
| 29 | मैसर्ज जिन्जर सीड डिवैलपमैंट | ए0पी0एम0सी0—113 / 10 |
| 30 | मैसर्ज गीन डिपार्टमैन्ट | ए0पी0एम0सी0—118 / 10 |
| 31 | दि हिमालयन प्रा0 लि0 | ए0पी0एम0सी0—126 / 10 |
| 32 | मैसर्ज दीपक एग्रो इण्डस्ट्रीज | ए0पी0एम0सी0—128 / 10 |
| 33 | मैसर्ज गीता राम शर्मा | ए0पी0एम0सी0—104 / 10 |
| 34 | सहायक निदेषक पोल्टरी | ए0पी0एम0सी0—07 / 08 |
| 35 | मिस्चल डिसूजा नाहन | ए0पी0एम0सी0—45 / 08 |
| 36 | ललित एंटर प्राईस | ए0पी0एम0सी0—48 / 08 |
| 37 | तेजिन्द्र पाल | ए0पी0एम0सी0—52 / 08 |
| 38 | सत्यपाल गोपाल स्वरूप | ए0पी0एम0सी0—68 / 08 |
| 39 | अषोक कुमार अतुल कुमार | ए0पी0एम0सी0—69 / 08 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 | देविन्द्र अग्रवाल | ए0पी0एम0सी0–93/08 |
| 41 | नैण सिंह | ए0पी0एम0सी0–85/08 |
| 42 | मदन लाल वृज भुषण | ए0पी0एम0सी0–83/08 |
| 43 | चन्द्र कान्त | ए0पी0एम0सी0–84/08 |

16 fMikftV odl dk mi;kfxrk iek.k i= iLrqr u djuk %&

¼i½ अंकेक्षण अवधि 04/06 से 03/11 के दौरान कृषक उपज मण्डी पांवटा साहिब के अर्न्तगत पड़ने वाले मुख्य यार्ड तथा सब यार्ड से सम्बन्धित निम्न कार्य विपणन बोर्ड षिमला के अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से डिपोजिट वर्क के अर्न्तगत करवाए गए तथा कृषक उपज मण्डी पांवटा साहिब द्वारा उपरोक्त अवधि तक निम्न राषियां बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विपणन बोर्ड कार्यालय को अग्रेषित की गई जिन में से प्रथम दो कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र मण्डी पांवटा साहिब द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं परन्तु अन्य कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं जिसे प्राप्त करने के लिए शीघ्र उचित कार्रवाई अपेक्षित है।

| cld Mk¶V uEcj | fnukd | jkdM cgh i"B | fuek.k dk;l dk uke | iff"kr jkf'k | fVIi.kh |
|---|---|---|---|---|---|
| 5069487 | 28.11.06 | 81 | सब यार्ड नाहन का निर्माण | 15,00,000 | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है |
| 596606 | 03.10.06 | 76 | सब यार्ड नाहन का निर्माण | 10,00,000 | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है |
| 435413 | 20.02.07 | 96 | प्रोवाईडिंग SDP- कान्शीवाला नाहन | 3,12,570 | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 519943 | 04.03.08 | 181 | षिफिटिंग ऑफ एल0टी0 लाईन ददाहू | 46,850 | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | हुआ है। |
| राषि नकद के रूप में अदा की गई | 12.03.08 | 182 | टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लान नाहन | 45,930 | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। |
| राषि नकद के रूप में अदा की गई | 31.03.08 | 175 | प्रोवाईडिंग 3 फेज इलैक्ट्रिक कुनैक्षन जी/फ्लोर नाहन अधिषासी अभियन्ता | 24,814 | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 530050 | 13.10.09 | 94 | हि0प्र0 स्टेट इलैक्टोनिक क0 षिमला | 1,07,100 | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 530082 | 13.10.09 | 94 | सब मार्किट यार्ड मिल्क चिलिंग | 23,00,000 | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। |
| कोई वर्णन नहीं | 03.04.10 | 133 | प्रबन्धक मार्कीट बोर्ड ए0ई0आई0पी0एच0 | 2,91,000 | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 407420 | 04.05.10 | 139 | बिजली मीटर लगवाने के लिए ए0ई0 पावंटा | 15,370 | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। |

¼ii½ d"kd mit e.Mh ikoVk }kjk o"kokj Hkkth xbl fMikftV odl jkf'k;ka dk C;kjk fuEu ls jgk

o"kl 2006&2007

| jlhn l0@ cSd Mk¶V l0 | fnukd | Hkkth xbl jkf'k |
|---|---|---|
| 596606 | 03.10.06 | 10,00,000 |
| 506948 | 28.11.06 | 15,00,000 |
| 435413 | 20.02.07 | 3,12,570 |
| | | ₹28]12]570 |

o"kl 2007&2008

| | | |
|---|---|---|
| 513740 | 19.06.08 | 10,00,000 |
| 518051 | 28.03.08 | 30,00,000 |
| 400688 | 12.11.08 | 30,00,000 |
| | | ₹70]00]000 |

o"k 2008&2009

**upto 30-11-08**

| | | |
|---|---|---|
| 406863 | 22.11.08 | 3,00,000 |
| 408864 | 22.11.08 | 27,00,000 |
| 405519 | 09.03.09 | 30,00,000 |
| | | ₹60]00]000 |

o"k 2009&2010

| | | |
|---|---|---|
| 530004 | 21.07.09 | 10,00,000 |
| 530082 | 19.10.09 | 23,00,000 |
| 406112 | 01.02.10 | 15,00,000 |
| | | ₹48]00]000 |

o"k 2010&2011

| | | |
|---|---|---|
| | o"k 2009&2010 dk 'k"k | 3]86]687 |
| 407420 | 12.05.10 | 15,00,000 |
| 406362 | 02.08.10 | 6,50,000 |
| 406442 | 17.08.10 | 98,000 |

| | | |
|---|---|---|
| 406599 | 14.09.10 | 2,03,000 |
| 466738 | 29.09.10 | 2,81,250 |
| | | ₹31118937 |
| o"kZ 2011&2012 | | |
| 2241822 | 18.08.11 | 2,93,946 |
| | ;ksx | ₹34]12]883 |

17 fdlku f'kfojksa dk vk;kstu ij vfxze jkf'k;ksa dk lUnHkZ esa %&

सचिव, हिमाचल प्रदेष मार्कीट बोर्ड खलीनी षिमला–2 के ज्ञापन संख्याः एच0एम0वी(एफ)–8/2005–4698 वर्ष 2006 के अनुसार किसानों के षिविरों के संचालन पर होने वाले व्यय की सीमा का निर्धारण Resoloution No. 34, दिनांक 17.03.06 के अनुसार किया गया जिसके अनुसार गांव स्तर के षिविरों के आयोजन के लिए ₹10,000/– निर्धारित की गई थी जबकि कृषक उपज मण्डी पांवटा साहिब के अग्रिम राषि रजिस्टर के पृष्ठ 7 व रोकड़ बही पृष्ठ 27 दिनांक 29.11.08 के अवलोकन पर पाया गया कि किसान षिविर का आयोजन दिनांक 20.02.09 को फतेहपुर, दिनांक 27.03.09 को सत्तेवाला, व दिनांक 28.03.09 को नवादा में आयोजित किए जाने बारे षिविरों के लिए सचिव महोदय के पक्ष में ₹50,000/– का आहरण दिनांक 29.11.08 को अर्थात षिविरों के आयोजन से तीन माह पूर्व ही कर लिया गया था। उक्त अग्रिम ₹50,000/– का आहरण वाऊचर संख्याः 74 द्वारा अग्रिम के रूप में कर लिया गया था जबकि उक्त मामले में गांव स्तर के तीन षिविरों पर केवल ₹30,000/– की निकासी अपेक्षित थी। अतः सचिव द्वारा बिना प्रायोजन के राषि को तीन माह पूर्व आहरित करने तथा शेष राषि को अपने पास रखने पर ब्याज तथा दण्ड ब्याज की वसूली शीघ्र अनिवार्य करके कृषक उपज समिति में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए।

18 izR;{k lR;kiu %&

अंकेक्षण अवधि 04/06 से 02/10 का प्रत्यक्ष सत्यापन सचिव महोदय सोलन द्वारा दिनांक 23.02.10 व 24.02.10 के दौरान किया गया तथा अवधि 03/10 से 03/11 का मण्डी समिति पावंटा के स्टोर/स्टॉक मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाना शेष है। अतः प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष के अन्त में करवाना सुनिष्चित किया जाए।

20 y?k vkifÙk fooj.khdk %& लघु आपत्तियों का अंकेक्षण स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया है।

21 lkjka'k %&

लेखाओं में सुधार की आवष्यकता है इसमें यह भी वर्णित किया जाता है कि मण्डी समिति पांवटा की आय तथा व्यय का लेखांकन करने हेतु केवल मुख्य मण्डी पांवटा की रोकड़ बही ही तैयार ही जा रही हे जबकि मण्डी समिति की रोकड़ बही समेकित रूप में तैयार की जानी अपेक्षित है। भविष्य में रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार किया जाए।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः –फिन(एल0ए0)सी(15)(14)41/76–खण्ड–5, दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

i`thdr (1) सचिव कृषक समिति पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग भेजना सुनिष्चित करें।

(2) प्रबन्ध निदेषक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विपणन भवन खलीनी, षिमला–171002.

(3) प्रधान सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002.

(4) श्री यषवीर कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा.................................

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

¼vuwi dqekj ?kk:½